RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 36 / 2025 **GCMS NO. 2025/137**

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण–
1. श्री विकास अधिकारी, बालोतरा, जिला बालोतरा।		1. श्री सरपंच, ग्राम पंचायत बिठुजा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 2. श्रीमती नारणीदेवी पत्नी श्री किशनाराम जाति देवासी, निवासी बिठूजा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 75 दिनांक 18.11.2021 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत बिठुजा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री विकास अधिकारी, बालोतरा प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 2 स्वयं बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 07.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 75 दनांक 18.11.2021 के विरूद्ध दिनांक 05.08.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती नारणीदेवी पत्नी श्री किशनाराम जाति देवासी के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत मौजा बिठूजा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 75 दिनांक 18.11.2025 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 300 वर्ग गज दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 60 फीट अर्जुनराम / जुजाराम देवासी, बदिशा दक्षिण में 60 फीट व केलकी देवी / भाखाराम देवासी, पूर्व में 45 फीट व स्वयं की भूमि एवं पश्चिम में 45 फीट व रास्ता, आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान

जिला कलक्टर
बालोतरा

पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत बिठूजा से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी स्वयं दौराने बहस यह कथन किया कि यह है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 48(4) अनुसार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के बारे में बैठक में उसका कोई भी ऐसा धनीय हित है और यदि उस प्रभाव का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह बैठक में ऐसी चर्चा के दौरान अध्यक्षता नहीं करेगा या उसमें मतदान/भाग नहीं लेगा। जबकि सरपंच ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा अपनी ही पत्नि श्रीमती नारणीदेवी पत्नी श्री किशनाराम के नाम का पट्टा संख्या 75 दिनांक 18.11.2021 जारी करने की बैठक की अध्यक्षता की गयी। राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के नियम संख्या 157 (1) क के तहत ऐसे पात्र परिवारों को पट्टा जारी करने का प्रावधान है जिनके पास कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृह (50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकान) है। अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती नारणीदेवी पत्नी श्री किशनाराम जाति देवासी निवासी बिठूजा ग्राम पंचायत बिठूजा को जारी पट्टे की पत्रावली अनुसार नियम 157 (1) का उल्लंघन हुआ है। राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के नियम संख्या 148 अनुसार प्रारूप 22 में आपत्ति नोटिस की अवधि 30 दिवस निर्धारित है। आपत्ति आमंत्रण सूचना नोटिस जारी किया गया जिसमें नोटिस जारी होने की दिनांक भी अंकित नहीं है। नोटिस 02 प्रतियों में दिया जाकर उसकी 01 प्रति किसी सहज दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी एवं दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय में लौटाये जायेंगे, जिनका भी अभाव पाया गया एवं 30 दिवस की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही फैसला कर पट्टा जारी किया गया है जो नियम विरूद्ध है। राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के नियम संख्या 157(1) क के तहत 03 पंचो की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट जो मिसल में शामिल है, इसमें किसी पंच के हस्ताक्षर नहीं है। मौका निरीक्षण में नियमों की अनदेखी की गई है। मिसल का संधारण मिसल में बैठक कार्यवाही में बैठक होने की तारीख कही भी अंकित नहीं है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि पटटा पत्रावली कब–कब बैठक में पेश हुई। ग्राम पंचायत बिदूजा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम संख्या 157 (1) के तहत जारी किये जाने वाले पट्टे में उका नियम अन्तर्गत पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदक का वांछित भूमि पर 50 वर्षों के दौरान निर्मित आवासीय मकान होना आवश्यक है जबकि मौका स्थिति पर बबूल की झाडिया एवं 2 ट्रोली पत्थर पड़े पाये गये है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पचायत बिठूजा द्वारा पंचायतीराज

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

नियमों को अनदेखा कर पटटें जारी किया गया है। ग्राम पंचायत बिदूजा विवादित पट्टा प्रकरण के संबंध में एक अभ्यावेदन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण की जांच इस कार्यालय द्वारा करवायी जाने पर इस पट्टे को जारी करने में ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा नियमों की अनदेखी किया जाना पाया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा अपास्त करने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 को जारी नोटिस तामिल पूर्ण होने के बावजुद भी दौराने बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2 को इस प्रकरण के निगरानी में प्रार्थी द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं आधारों पर अपना जवाब/बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब/कोई लिखित बहस अथवा दौरान सुनवाई अभिकथन नहीं करने पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने पत्रावली में प्रार्थी स्वयं की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा मिसल संख्या 169/2021–22 पर पंचायत की बैठक में दिनांक 20.10.2021 को दर्ज करते हुए फैसल दिनांक 18.11.2021, संकल्प संख्या 3 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा संख्या 75 दिनांक 18.11.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी स्वयं का कथन हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के संम्पूर्ण नियमों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया, जिसमें उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित संधारित की गई पत्रावली के संलग्न आदेशिकाएं में दायर दिनांक, मौका निरीक्षण दिनांक, पट्टा जारी दिनांक अंकित होना नहीं पाया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट का सही प्रारूप पर हस्ताक्षर नहीं करवाया गया और न ही तीन पंचो की कमेटी का गठन किया गया है। ऐसे में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 75 दिनांक 18.11.2021 को जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमों की पालना नहीं की गई है। उक्त आलोच्य पट्टा कब जारी किया गया, इसका इन्द्राज संबंधित आदेशिका में अंकित होना नहीं पाया गया। ऐसे में आलौच्य पट्टा जारी करने से उक्त हस्तगत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना, साक्ष्य व संबंधित बैठक कार्यवाही रजिस्टर नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अभाव एवं प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा आलौच्य पट्टा संख्या 75 दिनांक 18.11.2021 को जारी किया गया है, वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है, जो काबिल खारिज योग्य हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 75 दिनांक 18.11.2021 को जारी किया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पटटा संख्या 75 दिनांक 18.11.2021 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जिला कलक्टर
(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बालोतरा